रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0 एम0 14/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 24 जनवरी, 1991/4 माघ, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

भाषा एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 23 जनवरी, 1991

संख्या भाषा-ए (3)-1/78-पार्ट —हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के संविधान भारत के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश भाषा, कला और संस्कृति विभाग में अधिसूचना सख्या एल0 सी0 ए0(3)-1/78, दिनांक 26-8-1981 द्वारा अधिसचित वरिष्ठ तकनीकी सहायक, श्रेणी-III (तकनीकी) के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में संशोधन करने क लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ.—(i)इन नियमों का सक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश भाषा, कला और, संस्कृति विभाग वरिष्ठ तकनीकी सहायक, श्रेणी-III (तकनीकी) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम 1991 होगा।

(ii) यह नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत होंगे।

उपबन्ध के नियम-11 में संशोधन.—हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, श्रेणी-III के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1981 के परिशिष्ट "क" के स्तम्भ-11 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् "पदोन्नति द्वारा गैलरी सहायक और कनिष्ठ तकनीकी सहायक में से पदोन्नति द्वारा जिनकी इन पदों पर 31-3-91 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल कर के कम से कम पांच वर्ष का स्थाई या अस्थाई या दोनों मिला कर पांच वर्ष का सेवाकाल रखते हों"

(पदोन्नति के लिए योग्य गैलरी सहायकों और कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की एक वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी जो कि उक्त पदों में सेवाकाल की अवधि पर आधारित होगी।)

प्रतिनियुक्ति.—किसी राज्य/केन्द्रीय सरकार के विभागों में अधिकारियों में से जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों।

टिप्पणी.—1 प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल में लिए निम्न शर्तों के अधीन रखते हुए गणना में ली जाएगी :—

(क) उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-91 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है वहां उस से कनिष्ट व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण :

अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भतूर्व सैनिक, है जिसे डिमोबिलाइजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेंसी इन हिमाचल स्टेट नान टैकनिकल सर्विस) रूलज, 1972 के नियम 3 क प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किय गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरियता लाभ दिए गये हों या जिसे एक्सर्विस मैन (रिजवशन आफ वैकेन्सी इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिस रूलज), 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो या इसके अन्तर्गत वरियता लाभ दिये गये हो।

(ख) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-3-91 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिये गणना में ली जाएगी परन्तु 31-3-91 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरियता अपरिवर्तित रहेगी।

आदेश द्वारा,
के0 सी0 शर्मा,
आयुक्त एवं सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।